# बिहार सरकार
## सहकारिता विभाग

पत्रांक................................./पटना, दिनांक...........................................
03/सह॰ब॰यो॰(आवंटन)–02/2025

प्रेषक,

**अभय कुमार सिंह,**
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**निबंधक,**
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित चार सब्जी संघ यथा हरित सब्जी संघ, मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ एवं मगध सब्जी संघ में 750MT क्षमता के बहुद्देशीय शीत भंडारण इकाई निर्माण, प्रति इकाई लागत रू० 3,68,71,919/– रू० की दर से कुल सकल राशि रू० 14,74,87,676/– की स्वीकृति के विरूद्ध ऋण मद में स्वीकृत 25 प्रतिशत राशि अर्थात् रू० 3,68,71,919/– (तीन करोड़ अड़सठ लाख एकहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस) रूपये के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–276, दिनांक–01.08.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम–03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता हैः–

| **क्र॰सं॰** | **बजट शीर्ष** | **आवंटित राशि (रूपये में)** |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष–0120–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 09–6425001080120 विस्तृत शीर्ष–55–ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष–01–ऋण एवं अग्रिम | 3,09,72,412/– (तीन करोड़ नौ लाख बहत्तर हजार चार सौ बारह) रू० |
| 2. | मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 09–6425007890101 विस्तृत शीर्ष– 55–ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष–01–ऋण एवं अग्रिम | रू० 58,99,507/– (अंठावन लाख निनानवे हजार पाँच सौ सात) |
| | **योग** | **रू० 3,68,71,919/– (तीन करोड़ अड़सठ लाख एकहत्तर हजार नौ सौ उन्नीस) रूपये** |

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0–227/वि0, दिनांक–28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–235/वि0 दिनांक–01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
**(अभय कुमार सिंह)**,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–........................................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–52(आ०)/पटना, दिनांक–12/08/2025

प्रतिलिपिः– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.08.2

सरकार के अपर सचिव।